राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्र. 1081. मि.सं./रास्वभामिग्रा/पंग्राविवि/2019:: रायपुर, दिनांक 25/11/19

प्रति,

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विषयः— माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 01.07.2018 पर लिए गए निर्णयों/निर्देशों पर पालन प्रतिवेदन के संबंध में।

संदर्भः— 1.आपका पत्र क्रमांक 6—12/22—2/2015 अटल नगर, दिनांक 14 नवंबर, 2019।

2.आपका पत्र क्रमांक 6—12/22—2/2015 अटल नगर, दिनांक 31 जुलाई, 2019।

विषयांतर्गत आपके उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 01.07.2018 पर लिए गए निर्णयों/निर्देशों पर पालन प्रतिवेदन चाहा गया है। तदानुसार पालन प्रतिवेदन तैयार कर आपकी ओर प्रेषित है।

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ

अब नही तो कब?

Scanned by CamScanner

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 01–07– 2018 का कार्यवाही विवरण पर पालन प्रतिवेदन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

एजेंडा क्रमांक 1.

बिन्दु क्रमांक 4. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लक्ष्यानुरूप 02 अक्टूबर, 2019 तक संपूर्ण राष्ट्र को खुले में शौचमुक्त करने की दिशा में 04 जनवरी, 2018 को छत्तीसगढ़ राज्य (LWE क्षेत्र के 246 ग्राम पंचायतों को छोड़कर) 100 प्रतिशत स्वच्छता आच्छादन की स्थिति को प्राप्त कर चुका है। आधारभूत सर्वेक्षण 2012 के अनुसार 26,76,670 परिवार शौचालय विहीन पाए गए थे, प्रदेश को खुले में शौचमुक्त राज्य के तौर पर स्थापित किए जाने की दिशा में कुल 33,39,149 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण हुआ।

निर्मित शौचालयों में से 96.34 प्रतिशत शौचालयों की जियोटैगिंग पूर्ण की जा चुकी है। शेष जियोटैगिंग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार की वेबसाईट पर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के कारण शेष है। उक्त त्रुटियों को संशोधित करते हुए जियोटैगिंग पूर्ण किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

एजेंडा क्रमांक 2.

बिन्दु क्रमांक 1. आधारभूत सर्वेक्षण 2012 के अनुसार प्रदेश में 6,03,579 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय क्षतिग्रस्त/अनुपयोगी पाए गए थे। उक्त क्षतिग्रस्त शौचालयों हेतु स्वच्छ भारत कोष से राशि प्रदान किए जाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था किन्तु स्वच्छ भारत कोष से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। लक्षित शौचालयों में से 5,99,326 शौचालयों का जीर्णोद्धार जिलों में उपलब्ध विभिन्न मदों जैसे 14वां वित्त आयोग, डी.एम.एफ., सी.एस.आर., मनरेगा आदि से किया गया है। जीर्णोद्धार हेतु शेष शौचालय LWE क्षेत्रों के हैं।

Scanned by CamScanner